सेवा संकल्प यात्रा का पानसेमल में किया भव्य स्वागत

पानसेमल, पीएम मोदी की राष्ट्रसेवा को लेकर भाजयुमो द्वारा निकाली जा रही सेवा संकल्प यात्रा के नगर आगमन पर विधायक श्याम बर्डे जनप्रतिनिधियों, पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं सहित नगरवासियों ने स्वागत किया।

विधायक श्याम बर्डे ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रसेवा के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा बड़नगर से वाराणसी तक बाइक से यात्रा कर सेवा कार्य किए जा रहे है। प्रधानमंत्री मोदी देश के नहीं दुनिया के नेता हैं उन्होंने सेवा कार्यों से अपनी अलग छवि बनाई है। आज पीएम मोदी के नेतृत्व में देश के कई सेक्टरों में सुधार हुआ है। देश अब नई ऊंचाइयों को छूने लगा है, मोदी के सेवा समर्पण की प्रशंसा करते हुए उन्होंने अन्य विषयों पर भी अपनी बात रखी। देश के अलग-अलग राज्यों से होकर में निकली जन सेवा संकल्प यात्रा वड़नगर से वाराणसी तक जाने वाली बाइक यात्रा का पानसेमल नगर आगमन पर विधायक बर्डे, नगर परिषद अध्यक्ष शैलेश भंडारकर, उपाध्यक्ष साहेबराव चौधरी, भारतीय जनता युवा मोर्चा, पदाधिकारियों, पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ यात्रा का स्वागत किया।

भाजयुमो के जिलाध्यक्ष निशांत पवार ने बताया कि यह यात्रा प्रधानमंत्री मोदी के सेवा, समर्पण और जनकल्याण के संकल्प को जन-जन तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। यात्रा के आगमन पर स्वागत के बाद यात्रा सुबह भारत रत्न बाबा साहब अंबेडकर उद्यान पर पहुंची। जहां बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्पहार पहनाकर उद्यान में स्वच्छता कार्य किया। वहां से यात्रा नगर परिषद परिसर में पहुंची, जहां पुष्पवर्षा कर यात्रियों का अभिनंदन किया।

स्वागत के बाद सभी डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्यान पहुंचे सेवा संकल्प यात्रा के सदस्यों ने विधायक बर्डे, जनप्रतिनिधियों के साथ स्वच्छता मित्रों का शॉल-पुष्पहार से सम्मान कर पौधारोपण किया। सेवा संकल्प यात्रा के वाहन पर रखे कलश में विधायक बर्डे ने पदाधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के साथ जल भरा।

ग्राम नगरों से वाहन में रखे कलश में भरा जाता है जल

यात्रा सह प्रभारी व जनजाति सह सम्पर्क प्रमुख प्रीतमराज बडोले ने कहा कि यात्रा गुजरात, महाराष्ट्र होकर मप्र में पहुंची तथा कई राज्यों के ग्राम नगरों से वाहन में रखे कलश में जल भरा जाता है। इस जल से काशी विश्वनाथ में बाबा का अभिषेक किया जाएगा। यात्रा प्रभारी एवं संगठन प्रदेश मंत्री कार्तिकेय मिश्रा ने बताया कि यात्रा 20 से 22 दिनों में पूर्ण होगी और करीब 2200 किमी तक सफर तय करेगी। पार्षद प्रतिनिधि महेश गोले ने साथ स्वागत किया।

थाना परिसर में सम्पन्न हुई पंडाल आयोजकों की बैठक

खेतिया, एसपी पद्मविलोचन शुक्ल के निर्देशन में मंगलवार को थाना परिसर में गणेश विसर्जन पर्व को शांतिपूर्ण, सुरक्षित एवं सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के उद्देश्य से क्षेत्र के समस्त गणेश पंडाल आयोजकों की एक आवश्यक बैठक आयोजित की गई। निरीक्षक सुखलाल भंवर, अतिरिक्त तहसीलदार प्रज्ञा पाटीदार, विद्युत मंडल के जेई बी किराड़े, नप के अशोक शिंदे अधिकारियों द्वारा आयोजकों और प्रबुद्धजनों को विसर्जन जुलूस के सुगम संचालन हेतु शासन द्वारा जारी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। विसर्जन जुलूस के लिए पूर्व निर्धारित मार्ग एवं समय-सारणी का अनिवार्य रूप से पालन करने, जुलूस के दौरान आमजन को असुविधा न हो, इसके लिए आयोजक व समिति के स्वयंसेवक यातायात व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करेंगे।

डीजे एवं अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग शासन द्वारा निर्धारित मानक आवाज सीमा और समयावधि के अनुसार ही बजाए जाने, साथ ही जुलूस या पंडालों में किसी भी तरह के अश्लील, आपत्तिजनक या भड़काऊ गीत-संगीत और नारों का प्रयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी सम्बंधी निर्देश दिए गए। पुलिस प्रशासन ने आयोजकों और नागरिकों से अपील की भी है।

भगवान शंकर की प्राण-प्रतिष्ठा समारोह में निकाली शोभायात्रा

पानसेमल। तहसील के ग्राम टेमला में ग्रामीणों के सहयोग से सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में भगवान शिव की प्राण-प्रतिष्ठा की गई। धार्मिक अनुष्ठान में महाराष्ट्र के चोपड़ा तहसील से ग्राम गणपुर निवासी पंडित अविनाश नागेश दीक्षित, टेमला के पंडित वासुदेव कुलकर्णी सहित अन्य पंडितों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भगवान शिव की प्राण-प्रतिष्ठा कराई। टेमला के इंदिरा प्लाट फलिया निवासियों ने बताया कि नवनिर्मित मंदिर से ग्राम के मुख्य मार्गों पर कलश शोभायात्रा निकाली गई।

हवन पुजन के साथ भोजन प्रसादी का वितरण किया गया। ग्राम सहित आसपास के श्रद्धालुओं ने सहभागिता कर आयोजन को सफल बनाया।

सेवा संकल्प अभियान में भाषण-चित्रकला स्पर्धा आयोजित

बड़वानी, (नवभारत)। शासकीय पीएमश्री हाई स्कूल में सेवा संकल्प अभियान 2026 के द्वितीय चरण अंतर्गत तात्कालिक भाषण एवं सेवा चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला शिक्षा अधिकारी ज्योति पटेल, नगर महामंत्री लालू वास्कले एवं नगर कार्यालय मंत्री राजेन्द्र चौहान रहे।

संध्या पुराणिक ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। संस्था प्रमुख संतोष मिश्रा ने अतिथियों का स्वागत एवं परिचय कराया। वरिष्ठ शिक्षक सुबोध मिश्र ने सेवा संकल्प अभियान के उद्देश्यों और कार्यक्रम की रूपरेखा पर प्रकाश डाला।

कार्यक्रम का संचालन प्रधानपाठक सियाराम मोरे ने किया। अंत में संस्था की वरिष्ठ शिक्षिका शीला निगम ने सभी का आभार व्यक्त किया।

शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: 501, सैलकॉन ऑरम, जसोला जिला केंद्र, नई दिल्ली - 110025, सीआईएन: U65900DL2020PLC366027

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना

इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता, जिन्होंने शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड जिसका प्रधान कार्यालय तीसरी मंजिल, एडीडी इंडिया टावर, सेक्टर 125, नोएडा-201303 में स्थित है से ऋण लिया है, अपने ऋण का ब्याज चुकाने में विफल रहे हैं और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार उनके ऋण खातों को निष्पादित (एनपीए) घोषित कर दिया गया है। उधारकर्ताओं ने शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड को अचल संपत्तियों की जमानत दी है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है। ऋण का विवरण और उधारकर्ताओं द्वारा शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड को देय बकाया राशि का विवरण नीचे दिया गया है।

ऋण लेने वाले/सह-ऋण लेने वाले और आम जनता को सूचित किया जाता है कि मैं, शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड का अधिकृत अधिकारी, जो एक सुरक्षित ऋणदाता है, ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (SARFAESI अधिनियम) के प्रावधानों के तहत निम्नलिखित ऋण लेने वाले/सह-ऋण लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। यदि निम्नलिखित ऋण लेने वाले इस सूचना की तिथि से 60 (साठ) दिनों के भीतर अपने नाम के आगे दर्शाई गई बकाया राशि का भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो मैं SARFAESI अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (2) के तहत सुरक्षित ऋणदाता को प्रदत्त एक या अधिक शक्तियों का प्रयोग करूंगा, जिसमें संपत्तियों पर कब्जा करने और उन्हें बेचने की शक्ति भी शामिल है। आम जनता को सलाह दी जाती है कि वे नीचे वर्णित संपत्ति से संबंधित कोई लेन-देन न करें।

ऋण लेने वाले/गारंटर एवं बंधककर्ता का नाम	सुरक्षित परिसंपत्तियों/संपत्ति का विवरण
1. श्री दिलीप धनगर पुत्र भरतराम धनगर (उधारकर्ता/बंधककर्ता), मकान नं. 92, वार्ड नं.12, ग्राम धतुरिया, पोस्ट गुर्जर बरदिया, मंदसौर, म.प्र., 458389, 2. श्रीमती संजू गायत्री पत्नी दिलीप धनगर (सह-उधारकर्ता/बंधककर्ता), मकान नंबर 92, वार्ड नंबर 12, ग्राम धतुरिया, पोस्ट गुर्जर बरदिया, मंदसौर, म.प्र., 458389 ऋण खाता संख्या, मांग सूचना की तिथि और राशि: ऋण खाता सं. 103041535748 डिमांड नोटिस की तारीखः 23-09-2026 बकाया राशिः रू. 3,88,000/- तीन लाख अठासी हजार मात्र) 22-09-2026 तक एनपीए दिनांक : 03.09.2026	प्रॉपर्टी पर इक्विटेबल मॉर्गेजः कुल 95.16 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाली रिहायशी प्रॉपर्टी, जो हाउस नं.217, वार्ड नं.12, पी. हल्का नं.41, गांव धातुरिया, जी.पी. पाल्डी, तहसील और जिला मंदसौर, म.प्र., 458389 में स्थित है। यह प्रॉपर्टी श्री दिलीप धनगर पुत्र भरतराम धनगर और श्रीमती संजू गायत्री पत्नि दिलीप धनगर के नाम पर है। इसकी सीमाएं इस प्रकार हैं: पूर्वः नरसिंह का घर, पश्चिमः कन्हैयालाल का घर, उत्तरः भरत राम का घर, दक्षिणः आम रास्ता।

दिनांकः 23.09.2026, स्थानः नोएडा — अधिकृत अधिकारी, शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

यूको बैंक UCO BANK

(भारत सरकार का उपक्रम)

आंचलिक कार्यालय: प्लाट नं. 28/29/30, एलआईसी बिल्डिंग, वेस्टसाईड के पीछे, विजय नगर, इन्दौर - 452010, फोन: 0731-2438300

आधिपत्य हेतु सूचना पत्र अचल संपत्तियों के लिए नियम 8(1)

चूंकि, **यूको बैंक** के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002, की धारा 13(12) और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 का सपठित नियम 8 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रवर्तन करके निम्न ऋणगृहिताओं से सूचना प्राप्ति दिनांक से **60** दिनों के भीतर ऋण राशि अदा करने के अपेक्षा की गई थी। चूंकि ऋणगृहिताओं ने अदायगी में त्रुटी की है, अत: ऋणगृहिताओं तथा सर्वसाधारण जनता को एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि निम्न हस्ताक्षरकर्ता ने नीचे वर्णित संपत्तियों का आधिपत्य अधिनियम की धारा 13 (4) सपठित उपरोक्त नियमों के नियम 8 के अंतर्गत प्राप्त कर लिया है। ऋणगृहिताओं को विशेषत: और सर्वसाधारण को सतर्क किया जाता है कि इन संपत्तियों के संबंध में कोई संव्यवहार न करे, यदि कोई संव्यवहार किया गया तो वह **यूको बैंक** के ऋणगृहिताओं के समक्ष वर्णित राशि एवं ब्याज के चार्ज (प्रभार) के अधीन होगा ।

क्रं.	शाखा का नाम	ऋणियों/जमानतदारों का नाम	सूचना दिनांक / धारण दिनांक	बकाया राशि (₹)	अचल संपत्तियों का विवरण
1.	अन्नापूर्णा रोड शाखा, इन्दौर	श्री शौकत हुसैन पिता मोहम्मद हुसैन, स्वर्गीय मोहम्मद अहमद हुसैन पिता शौकत हुसैन के कानूनी उत्तराधिकारी	21.06.2026 17.09.2026	8,18,330.50 + ब्याज एवं अन्य खर्चे	मकान नं. 59, सेक्टर आई ग्रीन पार्क कॉलोनी, बांक इन्दौर धार रोड, इन्दौर में स्थित जिसका **क्षेत्रफल 500 वर्गफीट** है जो कि **श्री शौकत हुसैन पिता मोहम्मद हुसैन एवं स्व. श्री अहमद हुसैन पिता श्री शौकत हुसैन** के नाम से पंजीकृत विलेख क्रमांक 1अ/920 (4/2) दिनांक 27.08.2014 द्वारा उप पंजीयक इन्दौर (म.प्र.) में पंजीकृत है। **चर्तु:सीमा: उत्तर:** भूखण्ड क्रमांक 58, **दक्षिण:** भूखण्ड क्रमांक 60, **पूर्व:** भूखण्ड क्रमांक 144, **पश्चिम:** ग्रीन पार्क कॉलोनी रोड

स्थान : इन्दौर, दिनांक : 23.09.2026 — प्राधिकृत अधिकारी, यूको बैंक

CENTRUM HOUSING FINANCE LIMITED

Group Company of peoplehome — A Subsidiary of Weaver Services Private Limited

All loans are processed and serviced by Centrum Housing Finance Limited ("CHFL")

रजिस्टर्ड ऑफिस : यूनिट नंबर 301, तीसरी मंज़िल, हरभजन कमर्शियल प्रिमाइसेस को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, CST रोड, BPCL पेट्रोल पंप के सामने, कलिना, सांताक्रूज (पूर्व), मुंबई-400098. CIN: U65922MH2016PLC273826

कब्जा नोटिस

(प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8(1) और नियम 8(2) के साथ पठित परिशिष्ट IV के अनुसार)

चूंकि, नीचे हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी, 'सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002' के तहत 'सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड' के अधिकृत अधिकारी हैं और 'सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एनफोर्समेंट) रूल्स, 2002' के नियम 3 के साथ पढ़े जाने वाले सेक्शन 13(12) के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कंपनी के अधिकृत अधिकारी ने नीचे बताए गए उधारकर्ता(ओं) / सह-उधारकर्ता(ओं) / गारंटर(ओं) को डिमांड नोटिस जारी किया था, जिसमें नोटिस में बताई गई बकाया राशि को कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार ब्याज, पेनल्टी ब्याज, शुल्क, लागत आदि के साथ नोटिस मिलने की तारीख से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया था। उधारकर्ता द्वारा राशि न चुका पाने के कारण, उधारकर्ता(ओं) / सह-उधारकर्ता(ओं) / गारंटर(ओं) और आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि नीचे हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी ने उक्त एक्ट के सेक्शन 13(4) और उक्त नियमों के नियम 8 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए नीचे बताई गई प्रॉपर्टी का कब्जा ले लिया है। उधारकर्ता और आम जनता को खास तौर पर चेतावनी दी जाती है कि वे इस प्रॉपर्टी का कोई लेन-देन न करें; प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई भी लेन-देन 'सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड' के उस चार्ज (दावे) के अधीन होगा जिसमें बकाया राशि के साथ-साथ कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार ब्याज, पेनल्टी ब्याज, शुल्क, लागत आदि शामिल हैं। उधारकर्ता का ध्यान एक्ट के सेक्शन 13 के सब-सेक्शन (8) के प्रावधानों की ओर दिलाया जाता है, जो सुरक्षित एसेट्स (संपत्ति) को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के बारे में हैं।

स. क्रं.	ऋण खाता सं. उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता का नाम/	सुरक्षित संपत्तियों का विवरण (अचल संपत्ति)	मांग की तिथि नोटिस और कुल बकाया राशि (रु.)	कब्जा लेने की तिथि
1	UDRNM24018192 / धानु सिंह/ भामू कुंवर	अचल संपत्ति के अधिकार और उसका हिस्सा, जिसका विवरण इस प्रकार हैः पीएच नं. 41, भूमि सर्वेक्षण नंबर 66, क्षेत्रफल 1496 वर्ग फुट, G.P.-मुंडला, ग्राम- पिपलियामिर्चा, तहसील और जिला- नीमच-458553, मध्य प्रदेश। सीमाएँ:- पूर्व : नरेंद्र सिंह पुत्र गणपत सिंह का घर; पश्चिम : अपनी जमीन और नरेंद्र सिंह की कृषि भूमि; उत्तर : मालिक का आँगन; दक्षिण : आम रास्ता।	05-मार्च-26 रू. 7,50,021/- (सात लाख पचास हजार इक्कीस मात्र)	17-09-2026
2	UDRNM24014637 / मंगल सिंह बोराना/ पूजा बाई	अचल संपत्ति के अधिकार और उसका हिस्सा, जिसका सर्वे नंबर 362, पीएच नंबर 39 है और क्षेत्रफल 750.46 वर्ग मीटर है; यह संपत्ति ग्राम-छायां, तहसील और जिला- नीमच-458441, मध्य प्रदेश में स्थित है। सीमाएँ:- पूर्वः रास्ता, पश्चिमः पदम सिंह का घर, उत्तरः रास्ता, दक्षिणः अपनी जमीन।	09-अप्रैल-26 / रु. 8,05,116/- (आठ लाख पाँच हजार एक सौ सोलह मात्र)	17-09-2026

दिनांक : 23.09.2026, स्थानः मध्यप्रदेश — हस्ताक्षर/-, अधिकृत अधिकारी, सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की ओर से

आधार हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड

Aadhar Housing Finance Ltd

कार्पोरेट कार्यालय : ऑफिस नं. 501 एवं 503, पाँचवी मंजिल, लाइटब्रिज, साकी विहार रोड, अंधेरी ईस्ट, मुंबई सुबुरबन (जिला), महाराष्ट्र - 400072

शुजालपुर शाखा : मकान नं. 17, वार्ड नं. 15, पंजाबी मोहल्ला, दिगम्बर जैन मन्दिर रोड, शुजालपुर, मण्डी शुजालपुर, म.प्र.-465333

आगर शाखा: ग्राउंड फ्लोर, पूर्वी भाग पर मकान भूमि सर्वे नं.341/2, सारंगपुर रोड, छावनी नाका के पास, आगर 465441 (म.प्र.)

इंदौर महिला शाखा: 104, प्रथम मंजिल, ओम गुरुदेव प्लाजा, स्कीम नं. 54, विजय नगर, गिरधर महल के पास, इंदौर, म.प्र.

आधिपत्य सूचना परिशिष्ट 4 (अचल संपत्ति हेतू)

जबकी, **आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (AHFL)** के प्राधिकृत अधिकारी के तौर पर सिक्युरीटाइजेशन एंड रिकंस्टक्शन ऑफ फायनेंशियल एसेट्स एण्ड इंफोर्समेन्ट ऑफ सिक्युरिटी इंटस्ट एक्ट 2002 एवं सिक्युरिटी इंटस्ट (इंफोर्समेन्ट) नियम 2002 का नियम 3 के साथ सपठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को उपयोग करते हुए कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उपरोक्त सूचना प्राप्ति के **60 दिवस** में नीचे सूचना में वर्णित राशि का पुर्नभुगतान करने के लिए ऋणकर्ताओ/ प्रतिभूतिकर्ताओं को मांग सूचना (ए) जारी की थी। ऋणकर्ताराशि का पूर्नभुगतान करने में असफल रहे है, सिक्युरिटी इंफोर्समेन्ट नियम 2002 के नियम 8 के साथ सपठित उपरोक्त कानून की धारा 13 के सब-सेक्शन (4) के अंतर्गत के साथ प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए ऋणकर्ता(ओ) / प्रतिभूतिकर्ता(ओ) एवं सामान्य जनों को सार्वजनिक रूप में सूचित किया जाता है वर्णित संपत्ति पर अधोहस्ताक्षरकर्ता ने अधिगृहण कर लिया है। धरोहर संपत्ति के एवज में संपत्ति को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय सीमा पर कानून की धारा 13 का सब सेक्शन (8) के प्रावधानों पर ऋणकर्ताएं ध्यान देवे। ऋणकर्ता को विशेष रूप में एवं सामान्य जनो को सार्वजनिक रूप से यह चेतावनी दी जाती है कि संपत्ति के साथ कोई व्यवहार न करें एवं संपत्ति के साथ कोई व्यवहार नीचे वर्णित राशि के साथ शेष देय ब्याज के लिए AHFL के शुल्क के विषयानुसार होगी।

क्रं.	ऋणकर्ता(ओ)/प्रतिभूतिकर्ता (ओ)(शाखा का नाम)	धरोहर संपत्ति विवरण (अचल संपत्ति)	मांग सूचना का दिनांक एवं राशि	आधिपत्य का दिनांक
1	(लोन कोड नं. 09110000253 / शुजालपुर शाखा) शुभम नेमा (ऋणी) सतीष कुमार मेवाड़ा (जमानतदार)	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, दुर्गा मंदिर के सामने, वार्ड नं. 17 (पुराना वार्ड नं. 10), लक्ष्मीबाई वार्ड, श्री नगर कॉलोनी, पनजी नं. 289/07/08/2023 पेज नं. परजी 155, मकान नं. 49/1, पुराना नं. 44, शुजालपुर, शाजापुर, म.प्र. 465333, **चर्तुसीमाएँ:** पूर्वः रमेशचंद्र जी नेमा का मकान, पश्चिमः दादा वाड़ी, उत्तरः आम रास्ता, दक्षिणः विक्रेता का मकान	10-11-2025 & ₹ 14,81,373/-	21-09-2026
2	(लोन कोड नं. 11710000264 / आगर शाखा) अलफेज खान (ऋणी) नाईमा बी (सह-ऋणी)	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, सर्वे नं. 2395/7/1/2 एवं सर्वे नं. 2391/6/1/2, शुजालपुर सिटी, नारोला रोड, शुजालपुर, वार्ड नं. 4, प्लॉट नं. 152, शुजालपुर, शाजापुर, म.प्र. 465333, **चर्तुसीमाएँ:** पूर्वः कॉलोनी रोड, पश्चिमः प्लॉट नं. 140, उत्तरः प्लॉट नं. 153, दक्षिणः प्लॉट नं. 151	13-05-2026 & ₹ 7,39,267/-	21-09-2026
3	(लोन कोड नं. 76910000028 / इंदौर महिला शाखा) सौरभ पटेल (ऋणी) मंजू बाई (सह-ऋणी)	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, फ्लैट नं. 201, द्वितीय मंजिल, गजानन स्क्रेयर, श्री यंत्र नगर, खंडवा मेन रोड से अंदर, ब्लॉक (सेक्टर-बी), 142 एवं 143, बिलावली, इंदौर, म.प्र. 452020, **चर्तुसीमाएँ:** पूर्वः अन्य भूमि, पश्चिमः गलियारा, उत्तरः सिढ़ियां एवं फ्लैट नं. 206, दक्षिणः रोड	10-07-2026 & ₹ 12,26,626/-	21-09-2026

स्थान : मध्य प्रदेश
दिनांक : 23.09.2026 — प्राधिकृत अधिकारी, आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

फार्म नम्बर 4

सुचना/प्रकाषन हेतु

न्यायालय ऋण वसूली अधिकरण जबलपुर मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ

द्वितीय एवं तृतीय मंजिल, भारत संचार निगम लिमिटेड बिल्डिंग, प्रधान डाकघर के पास, सिविल लाइंस, जबलपुर म.प्र. 482001

(ऋण वसूली अधिकरण अधिनियम 1993 (प्रकिया) की धारा 19 की उपधारा 4 के तहत नियम 5 के उपनियम 2ए के साथ पढ़ा जाए)

मूल आवेदन संख्या 862/2023

केनरा बैंक ....आवेदक

विरूद्ध

मैसर्स हाजी अब्दुल जहूर हाजी अब्दुल गनी एवं अन्य ....अनावेदकगण

प्रति,

1. मैसर्स हाजी अब्दुल जहूर हाजी अब्दुल गनी, अपने मालिक श्री अब्दुल जहूर के माध्यम से, 253, ए.बी. पर स्थित है। रोड, न्यू आलो प्याज मंडी, इंदौर (म.प्र.)
2. श्री अब्दुल जहूर, मैसर्स के मालिक श्री अब्दुल गनी के पुत्र हाजी अब्दुल जहूर हाजी अब्दुल गनी, निवासी मकान नंबर 6/4, ए.बी. रोड, कन्या शाला क्षेत्र, वार्ड क्रमांक 6, राऊ, पिगडम्बर, इंदौर (म.प्र.)
3. श्रीमती नसीम बी, पत्नी श्री अब्दुल जहूर, निवासी मकान नंबर 6/4, ए.बी. रोड, कन्या शाला क्षेत्र, वार्ड क्रमांक 6, राऊ, पिगडम्बर, इंदौर (म.प्र.)
इसके अलावा - मकान नंबर 671/672, ए.बी. रोड, राऊ, इंदौर (म.प्र.)
4. श्री जाहिद हुसैन, पुत्र श्री हाजी अब्दुल जहूर, निवासी मकान नंबर 6/4, ए.बी. रोड, कन्या शाला क्षेत्र, वार्ड क्रमांक 6, राऊ, पिगडम्बर, इंदौर (म.प्र.)

जबकि ओ.ए. संख्या 862/2023 को माननीय पीठासीन अधिकारी के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था।

जबकि माननीय न्यायाधिकरण को उक्त आवेदन पर अधिनियम की धारा 19 की उपधरा 4 के तहत समन/सूचना पत्र जारी किया जा रहा है। यह ओ. ए. आपके विरूद्ध मात्र - रु.1,43,61,283.34 रूपये की ऋण वसूली के लिये दायर किया गया है।

अधिनियम की धारा 19 की उपधारा 4 के अनुसार, आप अनावेदकों को निम्नलिखित निर्देष दिये जाते हैं किः

1. समन की तामील होने के30 दिनों के भीतर कारण बताएं कि मांगी गई राहत क्यों नहीं दी जानी चाहिये।
2. मूल आवेदन के कमांक 3ए में निर्दिष्ट संम्पत्तियों और परिसंपत्तियों के अलावा अन्य संपत्तियों या परिसंपत्तियों का विवरण प्रकट करें।
3. संपत्तियों की कुर्की के आवेदन की सुनवाई और निपटारे तक, आपको मूल आवेदन के कमांक 3ए में प्रकट की गई सुरक्षित परिसंपत्तियों और संपत्तियों से संबंधित किसी भी प्रकार का लेनदेन करने या उनका निपटान करने से प्रतिबंधित किया जाता है।
4. आप अधिकरण की पूर्व स्वीकृति के बिना सामान्य व्यावसायिक प्रक्रिया के अलावा बिकी पट्टे या किसी अन्य माध्यम से उन परिसंपत्तियों का हस्तांतरण नहीं करेंगे जिन पर सुरक्षा हित सृजित है और / या मूल आवेदन के क्रमांक 3ए में निर्दिष्ट या प्रकट की गई अन्य परिसंपत्तियों और संपत्तियों का हस्तांतरण नहीं करेंगे।
5. आप सामान्य व्यावसायिक प्रक्रिया के तहत सुरक्षित परिसंपत्तियों और संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त विक्रय राशि का हिसाब देने के लिये उत्तरदायी होंगे और ऐसी विक्रय राशि को उन परिसंपत्तियों पर सुरक्षा हित रखने वाले बैंक में रखे गये खाते में जमा करेंगे।
6. आप आवेदक को दी गई आवेदन की प्रति सहित लिखित बयान दाखित करने और **27.01.2027** को **सुबह 10:30 बजे** जबलपुर स्थित माननीय न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित होने का भी निर्देश दिया जाता है, अन्यथा आवेदन पर आपकी अनुपस्थिति में एक पक्षीय सुनवाई कर निर्णय लिया जायेगा।

इस न्यायाधिकरण के हस्ताक्षर और मुहर के तहत दिनांक 11.09.2026 को जारी किया गया।

SEAL — **रजिस्ट्रार, ऋण वसूली अधिकरण, जबलपुर म.प्र.**

आधिपत्य सूचना परिशिष्ट 4 (अचल संपत्ति हेतू)

जबकी, **आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (AHFL)** के प्राधिकृत अधिकारी के तौर पर सिक्युरीटाइजेशन एंड रिकंस्टक्शन ऑफ फायनेंशियल एसेट्स एण्ड इंफोर्समेन्ट ऑफ सिक्युरिटी इंटस्ट एक्ट 2002 एवं सिक्युरिटी इंटस्ट (इंफोर्समेन्ट) नियम 2002 का नियम 3 के साथ सपठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को उपयोग करते हुए कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उपरोक्त सूचना प्राप्ति के **60 दिवस** में नीचे सूचना में वर्णित राशि का पुर्नभुगतान करने के लिए ऋणकर्ताओ/ प्रतिभूतिकर्ताओं को मांग सूचना (ए) जारी की थी। ऋणकर्ताराशि का पूर्नभुगतान करने में असफल रहे है, सिक्युरिटी इंफोर्समेन्ट नियम 2002 के नियम 8 के साथ सपठित उपरोक्त कानून की धारा 13 के सब-सेक्शन (4) के अंतर्गत के साथ प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए ऋणकर्ता(ओ) / प्रतिभूतिकर्ता(ओ) एवं सामान्य जनों को सार्वजनिक रूप में सूचित किया जाता है वर्णित संपत्ति पर अधोहस्ताक्षरकर्ता ने अधिगृहण कर लिया है। धरोहर संपत्ति के एवज में संपत्ति को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय सीमा पर कानून की धारा 13 का सब सेक्शन (8) के प्रावधानों पर ऋणकर्ताएं ध्यान देवे। ऋणकर्ता को विशेष रूप में एवं सामान्य जनो को सार्वजनिक रूप से यह चेतावनी दी जाती है कि संपत्ति के साथ कोई व्यवहार न करें एवं संपत्ति के साथ कोई व्यवहार नीचे वर्णित राशि के साथ शेष देय ब्याज के लिए AHFL के शुल्क के विषयानुसार होगी।

क्रं.	ऋणकर्ता(ओ)/प्रतिभूतिकर्ता (ओ)(शाखा का नाम)	धरोहर संपत्ति विवरण (अचल संपत्ति)	मांग सूचना का दिनांक एवं राशि	आधिपत्य का दिनांक
1	(लोन कोड नं. 09110000253 / शुजालपुर शाखा) शुभम नेमा (ऋणी) सतीष कुमार मेवाड़ा (जमानतदार)	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, दुर्गा मंदिर के सामने, वार्ड नं. 17 (पुराना वार्ड नं. 10), लक्ष्मीबाई वार्ड, श्री नगर कॉलोनी, पनजी नं. 289/07/08/2023 पेज नं. परजी 155, मकान नं. 49/1, पुराना नं. 44, शुजालपुर, शाजापुर, म.प्र. 465333, **चर्तुसीमाएँ:** पूर्वः रमेशचंद्र जी नेमा का मकान, पश्चिमः दादा वाड़ी, उत्तरः आम रास्ता, दक्षिणः विक्रेता का मकान	10-11-2025 & ₹ 14,81,373/-	21-09-2026
2	(लोन कोड नं. 11710000264 / आगर शाखा) अलफेज खान (ऋणी) नाईमा बी (सह-ऋणी)	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, सर्वे नं. 2395/7/1/2 एवं सर्वे नं. 2391/6/1/2, शुजालपुर सिटी, नारोला रोड, शुजालपुर, वार्ड नं. 4, प्लॉट नं. 152, शुजालपुर, शाजापुर, म.प्र. 465333, **चर्तुसीमाएँ:** पूर्वः कॉलोनी रोड, पश्चिमः प्लॉट नं. 140, उत्तरः प्लॉट नं. 153, दक्षिणः प्लॉट नं. 151	13-05-2026 & ₹ 7,39,267/-	21-09-2026
3	(लोन कोड नं. 76910000028 / इंदौर महिला शाखा) सौरभ पटेल (ऋणी) मंजू बाई (सह-ऋणी)	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, फ्लैट नं. 201, द्वितीय मंजिल, गजानन स्क्रेयर, श्री यंत्र नगर, खंडवा मेन रोड से अंदर, ब्लॉक (सेक्टर-बी), 142 एवं 143, बिलावली, इंदौर, म.प्र. 452020, **चर्तुसीमाएँ:** पूर्वः अन्य भूमि, पश्चिमः गलियारा, उत्तरः सिढ़ियां एवं फ्लैट नं. 206, दक्षिणः रोड	10-07-2026 & ₹ 12,26,626/-	21-09-2026

स्थान : मध्य प्रदेश
दिनांक : 23.09.2026 — प्राधिकृत अधिकारी, आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

केप्री ग्लोबल केपिटल लिमिटेड

CAPRI GLOBAL HOUSING FINANCE LIMITED

पंजीकृत और कॉर्पोरेट कार्यालय 502, टॉवर-ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई-400013, सर्कल ऑफिस पता - 9बी, द्वितीय तल, पूसा रोड, नई दिल्ली - 110060

मांग नोटिस

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3(1) के अंतर्गत, अधोहस्ताक्षरी, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (उक्त अधिनियम) के अंतर्गत कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड (CGCL) के प्राधिकृत अधिकारी हैं। प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत डिमांड नोटिस जारी किए हैं, जिसमें निम्नलिखित उधारकर्ता(ओं) ("उक्त उधारकर्ता(ओं)") को उन्हें जारी किए गए संबंधित डिमांड नोटिस में उल्लिखित राशियों को चुकाने के लिए कहा गया है, जो नीचे भी दिए गए हैं। उपरोक्त के संबंध में, उक्त ऋणी(यों) को एक बार फिर सूचित किया जाता है कि वे इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर, नीचे दर्शाई गई राशि, नीचे उल्लिखित तिथि(यों) से भुगतान और/या वसूली की तिथि तक लागू ब्याज सहित, उक्त ऋणी(यों) द्वारा निष्पादित अन्य दस्तावेजों/लेखों के साथ पठित ऋण समझौते के अंतर्गत देय राशि का भुगतान सीजीसीएल को करें। ऋण की उचित अदायगी हेतु प्रतिभूति के रूप में, उक्त ऋणी(यों) द्वारा निम्नलिखित संपत्तियाँ क्रमशः सीजीसीएल के पास गिरवी रखी गई हैं:

स. क्र.	उधारकर्ता (ओं)/ गारंटर (ओं) का नाम	मांग नोटिस की तिथि और राशि	सुरक्षित परिसंपत्ति (अचल संपत्ति) का विवरण
1.	(ऋण खाता संख्या) LNMEINR000115782 (पुराना) और 80300005778929 (नया) (इंदौर शाखा) बलराम जाट (उधारकर्ता) राधामोहन भंडारी, सावित्री पत्नि राधामोहन (सह-उधारकर्ता)	04.09.2026 रु. 31,91,644.00/- (01.09.2026 तक)	जमीन और इमारत वाली पूरी प्रॉपर्टी, जिसका विवरण इस प्रकार हैः सर्वे नंबर 100 पैकी, क्षेत्रफल 8910 वर्ग फीट (828.06 वर्ग मीटर), गाँव शेरपुर (मानपुर), तहसील महू, ज़िला इंदौर, मध्य प्रदेश - 453661। प्रॉपर्टी की सीमाएँ:- उत्तर - अपना घर, दक्षिण - अपना घर, पूर्व - अपनी जमीन, पश्चिम - आम रास्ता।
2.	(ऋण खाता संख्या) LNMEKHD000102118 (पुराना) 80300005719907 (नया) LNMEKW1000151231 (पुराना) 81200005736163 (नया) (खंडवा शाखा) गणेश पंवार (उधारकर्ता) हरिओम पंवार अरुणा पंवार, लता बाई पंवार (सह-उधारकर्ता)	03.09.2026 रु. 49,80,933.99/- (01.09.2026 तक)	वह संपत्ति जिसमें जमीन और इमारत शामिल है, जिसका पता हैः पडलिया रोड, गांव झिरनिया, खसरा संख्या 105, तहसील झिरनिया, जिला खरगोन, मध्य प्रदेश 451332, क्षेत्रफलः 4320 वर्ग फुट। संपत्ति की सीमाएंः उत्तर में सड़क, दक्षिण में मेवालाल जायसवाल का स्कूल, पूर्व में हुकुम पवार का घर, पश्चिम में उत्तम पवार का घर।
3.	(ऋण खाता संख्या) LNMEIN3000075774 (पुराना) 80400005741411 (नया) (इंदौर शाखा) लाखनसिंह चोयल (उधारकर्ता) रुखमणी बाई चोयल (सह-उधारकर्ता)	04.09.2026 रु. 37,44,060.00/- (01.09.2026 तक)	संपत्ति 1ः मकान संख्या 48, मकान संख्या 49 (पुराना मकान संख्या 42), क्षेत्रफल 1243 वर्ग फुट, ग्राम भीकुपुरा, जिला देवास, मध्य प्रदेश 455227, भूमि और भवन सहित संपत्ति का वह पूरा टुकड़ा और भाग, जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: उत्तरः सड़क, दक्षिणः सड़क, पूर्वः भानु जी मुकाती का मकान, पश्चिमः स्वयं का मकान। संपत्ति 2ः मकान संख्या 42 पर स्थित भूमि और भवन सहित संपत्ति का वह पूरा टुकड़ा और भाग, क्षेत्रफल 1355 वर्ग फुट (अर्थात 125.92 वर्ग मीटर), ग्राम भीकुपुरा बागली, जिला देवास, मध्य प्रदेश 455227, जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: उत्तरः सड़क, दक्षिणः सड़क, पूर्वः कानू जी का मकान, पश्चिमः नाना जी पटेल का बाड़ा।

यदि उक्त उधारकर्ता सीजीसीएल को पूर्वोक्त भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो सीजीसीएल अधिनियम की धारा 13(4) और लागू नियमों के अंतर्गत उपरोक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगा, जिसकी लागत और परिणामों का जोखिम पूरी तरह से उक्त उधारकताओं का होगा। अधिनियम के तहत, उक्त उधारकताओं को सीजीसीएल की पूर्व लिखित सहमति के बिना, बिक्री, पट्टे या अन्यथा, उपरोक्त परिसंपत्तियों को हस्तांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है। कोई भी व्यक्ति जो उक्त अधिनियम के तहत बनाए गए एक्टर नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन के लिए उकसाता है, उसे अधिनियम के तहत कारावास और/या दंड का सामना करना पड़ेगा।

स्थानः इंदौर, खरगोन, देवास
दिनांकः 23.09.2026 — एसडी/- (प्राधिकृत अधिकारी), केप्री ग्लोबल केपिटल लिमिटेड (सीजीएचएफएल) के लिए